सशस्त्र प्रहरी बल ने अवैध पटाखों को जब्त कर किया नष्ट

सिद्धार्थनगर। नेपाल के कपिलवस्तु जिला अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी बल ने बुधवार को 2,45,750 रुपये के अवैध पटाखों को जब्त किया, जिसको चौकी पुलिस मर्यादपुर की उपस्थिति में गड्ढा खोदकर नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि कपिलवस्तु जिले की सशस्त्र प्रहरी बल के बीओपी मर्यादपुर प्रभारी निरीक्षक गोविन्द सिंह थापा की कमान में तैनात 07 सदस्यीय वाहन मोबाइल गश्ती दल की टीम ने वार्ड नम्बर-05, नुनुवा, यशोदरा ग्रामीण नगरपालिका कपिलवस्तु जिला ने सीमा शुल्क से बचकर भारत से अवैध रूप से नेपाल लाये गये विभिन्न प्रकार के पटाखे (आतिशबाजी) जब्त किया, जिनकी कीमत 2,45,750/- रुपये (दो लाख पैंतालीस हजार सात सौ पचास रुपये) थी। वहीं उक्त पटाखें लावारिस अवस्था में थे और इन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस चौकी मर्यादपुर लाया गया। वहीं सशस्त्र प्रहरी बल ने पुलिस चौकी मर्यादपुर की उपस्थिति में पुलिस चौकी परिसर के अन्दर एक गड्ढा खोदकर स्थानीय पत्रकारों, स्थानीय लोगों और नेपाल पुलिस की उपस्थिति में अवैध पटाखों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इस अवसर पर नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बल के बीओपी मर्यादपुर सप्रह पूरन पौडेल, स.प्र.नि. गोविन्द सिंह थापा, एस.पी.एन.एन.आई. पदम बहादुर थापा व टीम, पुलिस चौकी मर्यादपुर किस्मत बाघघरे सहित सुभाष ठाकुर व स्थानीय पत्रकार उपस्थित रहें।



नदी में बाइक गिरने से युवक की डूबकर मौत

सिद्धार्थनगर। अन्तर्गत थाना क्षेत्र कठेला समय माता के बजराभारी काली मंदिर के पास बीती रात्रि बूढ़ी रासी नदी के बंधे पर एक मोटर साइकिल अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई और घटना में बाइक सवार युवक की डूबने से मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि कठेला समय माता थाना क्षेत्र के मदरहवा टोला मल्लाहडीह निवासी 28 वर्षीय श्यामू निषाद पुत्र हरखू निषाद मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। वह बजराभारी काली मंदिर के पास बूढ़ी रासी नदी के बंधे पर पहुंचा ही था कि अचानक उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और बंधे से नीचे नदी में जा गिरी। वहीं नदी में गिरने से बाइक समेत श्यामू पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक श्यामू के पिता की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई किया, तत्पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेज दिया गया। इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष कठेला समय माता नारायण लाल श्रीवास्तव ने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जायेगी।



रोडवेज बस, ट्रैक्टर की भीषण टक्कर, बड़ा हादसा टला

सिद्धार्थनगर। नौगढ़ से सोनौली बॉर्डर जा रही रोडवेज बस और एक ट्रैक्टर के बीच मंगलवार (आज) सुबह करीब 9:00 बजे जोरदार भिड़ंत हो गई। गनीमत यह रही कि इस भीषण दुर्घटना में दोनों तरफ से कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिद्धार्थनगर डिपो की रोडवेज बस (रजिस्ट्रेशन नंबर- क्क53 ष्ठज्ञ 6746) आज सुबह तड़के नौगढ़ से सवारियां लेकर सोनौली बॉर्डर के लिए रवाना हुई थी। जैसे ही बस सदर विधायक के आवास से कुछ ही दूरी पर पहुंची, तभी लोटन की तरफ से आ रहे एक पावरट्रैक ट्रैक्टर से उसकी आमने-सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि पावरट्रैक ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए और वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं, रोडवेज बस को अपेक्षाकृत कम नुकसान पहुंचा है। हादसे के वक्त बस पर नियमानुसार उसका नंबर अंकित था, जबकि दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर पर कोई भी नंबर प्लेट दर्ज नहीं थी। हादसे के दौरान ट्रैक्टर चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए दुर्घटना से ठीक पहले छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं, रोडवेज बस में सवार यात्रियों में से भी किसी के हताहत या घायल होने की कोई सूचना नहीं है। घटना के बाद कुछ समय के लिए मौके पर हड़कंप मच गया, लेकिन सभी यात्रियों और चालकों के सुरक्षित होने से लोगों ने राहत की सांस ली।



सिटी गैस नेटवर्क के संबध में बैठक सम्पन्न

सिद्धार्थनगर। सिटी गैस नेटवर्क के संबध में गठित समिति के साथ जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सन्दीप श्रीवास्तव की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन को जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में गैस पाइप लाइन से आपूर्ति हेतु 03 नगर पालिका,नगर पंचायतों का चयन किया गया है जिसमें सिद्धार्थनगर, बांसी एवं डुमरियागंज है। गैस पाइप लाइन गोरखपुर से महराजगंज जनपद के फरेन्दा होकर जनपद में आयेगी। जिलाधिकारी ने संबधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी कार्य बचे है उन्हें निर्धारित समय में पूर्ण कराये। उक्त कार्यो में जो भी समस्या आ रही है संबधित अधिकारीगण उसका निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिला पूर्ति अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत उपस्थित थे।



तीन भाई छह-छह महीने के लिए जिला बदर

सिद्धार्थनगर। एक ही परिवार के तीन सगे भाइयों को छह-छह महीने के लिए जिला बदर किया गया है। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने अजय कुमार यादव और दिनेश कुमार यादव को 27 अक्टूबर को जिला बदर करने का आदेश दिया। इससे पहले 14 सितंबर को उनके भाई सदावृक्ष उर्फ गुड्डू को भी छह महीने के लिए जिला बदर किया गया था। मामला खेसरहा थाना क्षेत्र के कुर्थिया गांव का है। तीनों भाइयों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने उनके आपराधिक मामलों और क्षेत्र में भय का माहौल होने के आधार पर जिला बदर की

संस्तुति की थी। वहीं, परिवार के चौथे भाई रामवृक्ष यादव के खिलाफ वृद्ध महिला की जमीन का कथित तौर पर धोखे से बैनामा कराने के मामले में मुकदमा दर्ज है। चौथे भाई समेत छह लोगों पर जमीन धोखाधड़ी का मुकदमा भलुहां गांव निवासी वृद्ध महिला सुखना पत्नी स्वर्गीय दशरथ ने रामवृक्ष यादव, सदावृक्ष, रामचंदर, कमलावती, बाबूराम और रामधनी पर साजिश कर उनकी जमीन का बैनामा कराने का आरोप लगाया था। इस मामले में बांसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। महिला के मुताबिक, पति की मृत्यु के बाद वह अपने और अपने तीन बेटों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराना चाहती थीं। पुराने परिचय और जाति-बिरादरी के चलते उन्हें रामवृक्ष यादव पर भरोसा था। आरोप है कि रामवृक्ष उन्हें मोटरसाइकिल से बांसी ले गए और राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज कराने का

नाम दर्ज होने के तीन दिन बाद जमीन का बैनामा सुखना का आरोप है कि 11 मई 2026 को उनके और उनके तीनों बेटों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराए गए। इसके तीन दिन बाद, 14 मई को उनकी हिस्सेदारी की पूरी जमीन का बैनामा कमलावती पत्नी रामचंदर के नाम करा दिया गया। महिला का कहना है कि उन्हें बैनामे की जानकारी नहीं थी और जमीन के बदले कोई रकम भी नहीं मिली। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि बैनामे में उनके मोबाइल नंबर की जगह रामचंदर का मोबाइल नंबर दर्ज कराया गया। गांव में चर्चा होने के बाद उन्हें जमीन के बैनामे की जानकारी हुई।

पूछताछ करने पर गाली-गलौज का आरोप सुखना के अनुसार, 21 मई को उन्होंने सदावृक्ष और रामवृक्ष से जमीन के बैनामे के बारे में पूछताछ की तो दोनों ने उनके साथ गाली-गलौज की। इसके बाद महिला ने 23 मई 2026 को शिकायत देकर छह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जून 2026 में बांसी थाने में जमीन के बैनामे से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। इस तरह एक ही परिवार के तीन भाइयों- सदावृक्ष उर्फ गुड्डू, अजय कुमार यादव और दिनेश कुमार यादव-के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई हुई है, जबकि चौथे भाई रामवृक्ष यादव का नाम वृद्ध महिला की जमीन के कथित धोखाधड़ी वाले बैनामे के मुकदमे में शामिल होने की बात सामने आ रही है।

जनगणना प्रशिक्षण सम्पन्न

उसका बाजार सिद्धार्थनगर। कस्बा में स्थित नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में भारत की जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के तहत प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का चार दिवसीय विशेष प्रशिक्षण बुधवार को संपन्न हुआ है। प्रशिक्षको श्याम सुंदर और पंकज द्विवेदी ने उपस्थित लोगो को जनगणना के बारे में विस्तार से बताया है। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर सर्वेश उपाध्याय और जन गणना जिला प्रभारी नागेंद्र यादव ने प्रशिक्षण का निरीक्षण भी किया है। इन्होंने बताया कि प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को मोबाइल ऐप (जैसे पापुलेशन इन्यूमरेशन ऐप) और डिजिटल माध्यमों से डेटा एकत्र करने की ट्रेनिंग दी जाती है। लोगों द्वारा ऑनलाइन भरे गए स्वगणना फॉर्म और आईडी की जांच तथा डेटा को वेरीफाई करने का तरीका सिखाया जाता हैऔर प्रगणकों को घर-घर जाकर सही तरीके से सवाल पूछने और लेआउट मैप तैयार करने के निर्देश दिए जाते हैं।



जालसाजी व धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के दो आरोपी गिरफ्तार

शोहरतगढ़/सिद्धार्थनगर। सोने के जेवर और रुपये दोगुने करने का झांसा देकर लोगों से जालसाजी व धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के दो आरोपितों को शोहरतगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला स्थानीय थाना क्षेत्र के पैकी खास गांव का है। आरोप है कि बाइक सवार तीन लोगों ने घर पहुंचकर एक महिला को सोने के जेवर दोगुने करने का लालच दिया और जेवर लेकर फरार हो गये थे। वहीं ग्रामीणों ने पीछा किया तो चंदवा गांव के पास बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में दो आरोपित घायल हो गये, जिन्हें ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि तीसरा आरोपित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपितों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पैकी खास गांव निवासी सेठे चौधरी पुत्र रामकरन चौधरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 27 अक्टूबर को दोपहर करीब दो बजे वह और उनकी बहू मनीषा घर पर मौजूद थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल संख्या यूपी 53 ईपी 8647 से तीन लोग उनके घर पहुंचे। आरोप है कि तीनों ने उनकी बहू को अपनी बातों में फंसाकर सोने के जेवर दोगुने करने का झांसा दिया। उनकी बातों में आकर सोने की बिंदिया, नथिया, एक जोड़ी झुमका, मंगलसूत्र और अंगूठी समेत करीब पांच थान जेवर उन्हें दे दिये गये। वहीं जेवर लेकर तीनों बाइक से वहां से फरार हो गये। घटना की जानकारी होने पर पीड़ित पक्ष और ग्रामीणों ने बाइक सवारों की तलाश शुरू की। तहरीर के मुताबिक चंदवा गांव के पास ग्रामीणों ने तीनों को देख लिया और उनका पीछा करने लगे। ग्रामीणों को पीछे आता देख बाइक सवार तेजी से भागने लगे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में दो लोग चोटिल हो गये, जबकि तीसरा व्यक्ति मौके से भाग निकला। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में शोहरतगढ़ पुलिस ने 28 अक्टूबर को मुकदमा अपराध संख्या 211/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपित गांवों में घूमकर लोगों से रुपये और जेवर दोगुने करने का झांसा देकर जालसाजी व धोखाधड़ी करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों की पहचान 35 वर्षय करन कुमार पुत्र अनिरका प्रसाद निवासी बनटिकुला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर और 25 वर्षय सनी कुमार पुत्र नया प्रसाद निवासी जंगल जैनुलआबदीन उर्फ सेमरा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर के रूप में की है। पुलिस फरार तीसरे आरोपित की तलाश कर रही है। साथ ही कथित रूप से ठगे गये जेवरों की बरामदगी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रभारी थानाध्यान निरीक्षक अतिउल्लाह अंसारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया। इस दौरान उप निरीक्षक चन्द्रशेखर चौहान, कांस्टेबल मुन्नालाल यादव और कांस्टेबल नितिश यादव शामिल रहे।



राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर को

उसका बाजार सिद्धार्थनगर।राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश क्रम में आगामी दिसंबर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर जनपद न्यायाधीश सिद्धार्थनगर के आदेश क्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिद्धार्थनगर शैलेन्द्र नाथ ने बताया कि आगामी 12 दिसम्बर 2026 (द्वितीय शनिवार) को सिविल कोर्ट सिद्धार्थनगर व बाह्य स्थित न्यायालय बांसी, डुमरियागंज एवं जिला कारागार, सिद्धार्थनगर तथा राजस्व, चकबन्दी एवं अन्य न्यायालयों में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, न्यायालय में लम्बित पुराने वादो, ई0 चालान व आर्बीट्रेशन के निष्पादन वादों, बैंक वसूली के वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवाद सहित) सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद, सेवानिवृत्तिक लाभों से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद (जनपद न्यायालय में लम्बित), अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद), के प्रकरण से सम्बन्धित मामलों को प्रमुखता प्रदान करते हुए से संबंधित लम्बित मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।साथ ही साथ उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन स्तर के परिवार न्यायालय से सम्बन्धित पारिवारिक वाद एवं प्री-लिटीगेशन स्तर के प्रकरण धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैंक वसूली के वाद, श्रम वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवाद सहित) एवं अन्य वादों (आपराधिक शमनीय, पारिवारिक एवं अन्य सिविल) के प्रकरण आदि का भी निस्तारण पारस्परिक सुलह समझौते के आधार पर आपसी सद्भावना के अधीन कराया जा सकता है।



आपसी रंजिश में 20 वर्षीय युवक की मौत

लोटन -सिद्धार्थनगर। मोहाना थाना क्षेत्र के बेलौहा में आपसी रंजिश को लेकर 20 वर्षीय युवक की जान चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान लोटन थाना क्षेत्र के खखरा गांव निवासी भोलू (20) पुत्र बबलू के रूप में हुई है। घटना के पीछे आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक भोलू बेलौहा निवासी का किसी बात को लेकर वापसी विवाद हो गया था। घटना इतना बढ़ गया कि दोनों में मार पीट शुरू हो गया । इसी दौरान भोलू के सिर में गंभीर चोट आ गई। और वहीं घटना स्थल पर ही वह गिर गया। मौके पर पहुंची मोहाना पुलिस घायल को सी एच सी लोटन पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने मृतक घोषित कर दिया।

घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस घटनाक्रम की जानकारी जुटाने के साथ ही मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है। सी ओ सदर विश्वजीत सौरयान सी एच सी लोटन पहुंच कर घटना की जानकारी ली। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसमें कौन-कौन शामिल हैं, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। युवक की मौत से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पुलिस की जांच पर सभी की निगाहें टिकी हैं।



735 किलो अवैध पटाखे बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

संतकबीरनगर। जनपद में अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने मंगलवार को 735 किलोग्राम विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने चकदही निवासी रमेश पुत्र स्वर्गीय राम शंकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में 26 अक्टूबर 2026 को मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। मामले में कोतवाली खलीलाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 974/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(ख) में मुकदमा दर्ज किया गया है। सबसे बड़ा सवाल- इतनी बड़ी मात्रा में पटाखे कहां से आए थे? इनका भंडारण किस उद्देश्य से किया गया था और क्या इसके पीछे कोई बड़ा आपूर्ति नेटवर्क है? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे।

चक्रवात 'अर्णब' का असर : संतकबीरनगर में भारी बारिश और 50 किमी/घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं

संतकबीरनगर। बंगाल की खाड़ी में विकसित चक्रवाती तूफान 'अर्णब' के प्रभाव से संतकबीरनगर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में मौसम बिगड़ने की आशंका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 28 से 31 अक्टूबर के बीच विभिन्न क्षेत्रों में बारिश, मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चल सकती हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने जनपदवासियों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र लखनऊ की ओर से 28अक्टूबर को जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, 29 अक्टूबर को संतकबीरनगर में भारी बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान मेघगर्जन और आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना रह सकता है। वहीं, 30 अक्टूबर को भी जनपद में गरज-चमक, वज्रपात और तेज हवाओं की आशंका जताई गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद 29 अक्टूबर को संतकबीरनगर में भारी वर्षा की संभावना है, जबकि 30 अक्टूबर को भी मौसम खराब रहने के आसार हैं।

तेज हवाओं और बारिश के कारण पेड़ों की डालियां टूटने, बिजली आपूर्ति बाधित होने, जलभराव और यातायात प्रभावित होने जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। ऐसे में लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है।

जिलाधिकारी श्रीमती अनुज मलिक ने जनपदवासियों से अपील की है कि मौसम विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से लें और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सावधानी बरतें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने और आम लोगों तक समय से आवश्यक जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।जिला प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें। आकाशीय बिजली चमकने के समय खुले स्थानों में न रहें और संभव हो तो किसी सुरक्षित पक्के भवन में शरण लें। तेज हवाओं के दौरान कमजोर छतों, जर्जर इमारतों और होर्डिंग के आसपास भी जाने से बचें।

मौसम संबंधी चेतावनियों और आपदा से बचाव की जानकारी समय पर प्राप्त करने के लिए जिला प्रशासन ने नागरिकों से मोबाइल फोन में 'सचेत (ब्रष्ट॥श्वङ्क) ऐप' डाउनलोड करने की अपील की है। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और मौसम से जुड़ी सूचनाओं के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने को कहा गया है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनसुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में सभी नागरिक मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें और स्वयं के साथ-साथ अपने परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।

खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, छेने की मिठाई और पनीर का लिया नमूना

संतकबीरनगर। दीपावली पर्व के मद्देनजर आम लोगों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले में जांच अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में मंगलवार को पठान टोला स्थित राजस्थान स्वीट्स का निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने यहां से छेने की मिठाई और पनीर के नमूने संग्रहित किए। प्रदेश में संचालित 'शुद्ध ही शुभ है' अभियान के तहत सहायक आयुक्त (खाद्य)-सतीश कुमार के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के दौरान मिठाई प्रतिष्ठानों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने, उत्पादों पर यूज-बाय डेट अंकित करने तथा दुकानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।विभागीय जानकारी के अनुसार, राजस्थान स्वीट्स, पठान टोला से छेने की मिठाई और पनीर के एक-एक नमूने लिए गए। वहीं, मेहदावल रोड बाईपास स्थित श्याम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट से पनीर, खोया और बेसन के नमूने संग्रहित किए गए। इस तरह अभियान के दौरान कुल पांच नमूने जांच के लिए एकत्र किए गए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला भेजा जा रहा है।खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर विभाग की नजर अब जांच रिपोर्ट पर है। अधिकारियों के मुताबिक, प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीके राय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बृजेश कुमार और सच्चिदानंद गुप्ता सहित पुलिस बल मौजूद रहा।

वशिष्ठ मौर्य को पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर दी बधाई

संतकबीरनगर। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर वशिष्ठ मौर्य को बधाई एवं शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में नगर पालिका अध्यक्ष जगत जायसवाल ने उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने पर हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जगत जायसवाल ने विश्वास जताया कि वशिष्ठ मौर्य अपनी मेहनत, लगन और संगठन के प्रति समर्पण के साथ इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग मोर्चा को मजबूती मिलेगी और संगठन नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।नगर पालिका अध्यक्ष ने वशिष्ठ मौर्य के सफल कार्यकाल की कामना करते हुए विश्वास जताया कि वह पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

थानाध्यक्ष दुर्गेश पाण्डेय के स्थानांतरण पर भावुक हुई महुली की जनता

संतकबीरनगर। महुली थाने के थानाध्यक्ष दुर्गेश पाण्डेय के स्थानांतरण के बाद थाने परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान माहौल उस समय भावुक हो गया, जब महुली क्षेत्र की जनता और पुलिस विभाग के लोग उनसे गले मिलकर रोने लगे। अपने चहेते थानाध्यक्ष को विदाई देते समय लोगों की आंखें नम हो गईं।दुर्गेश पाण्डेय के कार्यकाल के दौरान जनता और पुलिस के बीच बने आपसी जुड़ाव की झलक विदाई समारोह में देखने को मिली। समारोह में मौजूद लोगों ने उनके साथ बिताए समय को याद किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं, पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने भी अपने साथी अधिकारी को भावुक होकर विदाई दी।

विदाई समारोह के दौरान लोगों का इस तरह भावुक होना उनके प्रति सम्मान और अपनत्व को दर्शाता रहा। गले मिलकर विदाई देते लोगों को देखकर थाने का माहौल गमगीन हो गया। यह विदाई समारोह क्षेत्र में उनके कार्यकाल और जनता के साथ बने संबंधों की यादगार तस्वीर बन गया।

जिलाधिकारी ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

सिद्धार्थनगर। जनपद में अवशेष, पराली जलाने की घटनाओं के दृष्टिगत कृषकों के मध्य फसल अवशेष जलाने से नुकसान एवं फसल अवशेष नही जलाने से फायदों की जागरूकता हेतु प्रचार वाहन को जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया।

प्रचार वाहन जनपद के ग्राम पंचायतों में खेत में फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, तथा मानव स्वास्थ्य, मृदा की उर्वरता, एवं भूमि में उपलब्ध लाभकारी सूक्ष्मजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही खेतों में आग लगाने से आसपास की अन्य फसलों एवं सम्पत्ति को क्षति पहुंचने की सम्भावना रहती है। अवशेष को खेत मे न जलाये, फसल अवशेष का उचित प्रबन्धन करते हुए कृषि यन्त्रों के सहायता से खेत में ही मिलाये अथवा मल्चिंग, पशुचारा एवं कम्पोस्ट, जैविक खाद बनाने जैसी उपयोगी कार्यों में प्रयोग करें, का प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही खेत में फसल अवशेष जलाये जाने पर माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण अधिनियम की धारा 24 एवं 26 के अन्तर्गत खेत में फसल अवशेष को जलाना एक दण्डनीय अपराध है। यदि फसल अवशेष जलाने की घटना प्रकाश में आती है तो पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड के प्राविधान किया गया है। जो निम्नवत है:-02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए रू0 5000.00 प्रति घटना एकड़ से 05 एकड़ क्षेत्र के लिए रू0 10000 प्रति घटना 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए रू0 30000 प्रति घटना फसल अवशेष जलाने की पुनरावृत्ति करने पर पुन: अर्थदण्ड से दण्डित करने साथ ही विभागीय योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, से कृषकों को अवगत कराया जाएगा।

